D/R/13 +14 +15

रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003—05 REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 14—जनवरी 20, 2006 (पौष 24, 1927)
No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 14—JANUARY 20, 2006 (PAUSA 24, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 4
## [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

नई दिल्ली, दिनांक 19 दिसम्बर 2005

निर्देश सं. एनएचबी.एचएफसी.डीआईआर.१४/सीएमडी/२००५

राष्ट्रीय आवास बैंक जनहित में एवं इस बात से संतुष्ट होकर कि राष्ट्रीय आवास बैंक देश में आवास वित्त प्रणाली विनियमित करने में सशक्त होने के प्रयोजनार्थ व इसके लाभार्थ यह आवश्यक समझता है कि ऐसा करना अपेक्षित है, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987/53) की धाराओं 30ए तथा 31 द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में सभी सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देता है कि आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2001 में निम्नानुसार और संशोधन तत्काल प्रभाव से किए जाते हैं, अर्थात्:

**अनुच्छेद 27 में, उल्लिखित धारा को निम्नलिखित से बदला जाएगा :**

"(एच) आवास वित्त कंपनियां एनएसई/बीएसई/ओटीसीईआई पर केवल स्टॉकब्रोकरों के माध्यम से प्रतिभूतियों में कारोबार कर सकती हैं ।"

पी. के. गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

---

निर्देश सं. एनएचबी.एचएफसी.डीआईआर.१५/सीएमडी/२००५

राष्ट्रीय आवास बैंक जनहित में एवं इस बात से संतुष्ट होकर कि राष्ट्रीय आवास बैंक देश में आवास वित्त प्रणाली विनियमित करने में सशक्त होने के प्रयोजनार्थ व इसके लाभार्थ यह आवश्यक समझता है कि ऐसा करना अपेक्षित है, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987/53) की धाराओं 30ए तथा 31 द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में सभी सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देता है कि आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2001 में निम्नानुसार और संशोधन तत्काल प्रभाव से किए जाते हैं, अर्थात्:

**अध्याय V - विविध, में - आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2001 के अनुच्छेद 43 के बाद एक नया अनुच्छेद 44 के रूप में जोड़ा जाएगा, अर्थात,**

"आवास वित्त कंपनियां सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा स्वीकार किए गए सार्वजनिक निक्षेपों के लिए पूर्ण पूरक राशि हर समय उपलब्ध हो । पूरक राशि की गणना करते समय सभी डिबेंचरों (आरक्षित एवं अनारक्षित) का मूल्य और जमाकर्ताओं के प्रति सकल देयताओं के अतिरिक्त बाह्य देयताओं को कुल आस्तियों में से घटा दिया जाए । इसके अतिरिक्त, इस प्रयोजन हेतु आस्तियों का मूल्यांकन उनके बही मूल्य या वसूली/बाजार मूल्य, जो भी कम हो, के आधार पर किया जाए ।"

पी. के. गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

NATIONAL HOUSING BANK

New Delhi, the 19th December 2005

**HOUSING FINANCE COMPANIES (NHB) DIRECTIONS, 2001**

Direction No. NHB. HFC. DIR. 13/CMD/2005—

The National Housing Bank having considered it necessary in the public interest and being satisfied that, for the purpose of enabling the National Housing Bank to regulate the housing finance system in the country to its advantage, it is necessary so to do, hereby in exercise of the powers conferred on it by sections 30A and 31 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and all the powers enabling it in this behalf, directs that the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 shall **with immediate effect**, be further amended in the following manner, namely:-

**I) In explanation (3) under paragraph 26, of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 after item c), the following new item shall be inserted as item d), *viz.***

| | |
|---|---|
| i)* Fund based and non-fund based exposures secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.)." | 125 |
| ii)** Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures backed by exposures as at (i) above. | |

*to be reported against new tem code number 246 in Schedule II (Half-yearly Statement)

**to be reported against new item code number 247 in Schedule II (Half-yearly Statement)

P. K. GUPTA
Chairman & Managing Director

**Direction No. NHB.HFC.DIR. 14/CMD/2005 ~~dated December 19, 2005~~**

The National Housing Bank having considered it necessary in the public interest and being satisfied that, for the purpose of enabling the National Housing Bank to regulate the housing finance system in the country to its advantage, it is necessary so to do, hereby in exercise of the powers conferred on it by sections 30A and 31 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and all the powers enabling it in this behalf, directs that the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 shall **with immediate effect**, be further amended in the following manner, namely:-

**In paragraph 27, the existing clause may be replaced with the following:**

"(h) Housing Finance companies (HFCs) may undertake securities transactions through stockbrokers only on NSE/BSE/OTCEI."

P. K. GUPTA
Chairman & Managing Director

**Direction No. NHB.HFC.DIR. 15/CMD/2005**

The National Housing Bank having considered it necessary in the public interest and being satisfied that, for the purpose of enabling the National Housing Bank to regulate the housing finance system in the country to its advantage, it is necessary so to do, hereby in exercise of the powers conferred on it by sections 30A and 31 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and all the powers enabling it in this behalf, directs that the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 shall **with immediate effect**, be further amended in the following manner, namely:-

**In chapter V- Miscellaneous, after paragraph 43, of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 a new paragraph shall be inserted as 44, *viz.***

**"44.** HFCs should ensure that at all times there is full cover available for public deposits accepted by them. While calculating this cover the value of all debentures (secured and unsecured) and outside liabilities other than the aggregate liabilities to depositors may be deducted from the total assets. Further, the assets should be evaluated at their book value or realizable/market value whichever is lower for this purpose."

P. K. GUPTA
Chairman & Managing Director

राष्ट्रीय आवास बैंक

(भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में)

आवास वित्त कंपनी (रा.आ. बैंक) निर्देश, 2001

नई दिल्ली, दिनांक 2 दिसम्बर 2005

निर्देश सं. एनएचबी.एचएफसी.डीआईआर.१३/सीएमडी/२००५

राष्ट्रीय आवास बैंक जनहित में एवं इस बात से संतुष्ट होकर कि राष्ट्रीय आवास बैंक देश में आवास वित्त प्रणाली विनियमित करने में सशक्त होने के प्रयोजनार्थ व इसके लाभार्थ यह आवश्यक समझता है कि ऐसा करना अपेक्षित है, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987/53) की धाराओं 30ए तथा 31 द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में सभी सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देता है कि आवास वित्त कंपनी (रा.आ बैंक) निर्देश, 2001 में निम्नानुसार और संशोधन तत्काल प्रभाव से किए जाते हैं, अर्थात्:

**I. आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2001 के अनुच्छेद 26 के नीचे व्याख्या (3) में मद ग के बाद, निम्नलिखित नई मद को मद घ के रूप में जोड़ा जाएगा, अर्थात,**

| | |
|---|---|
| i)* निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित निवेश जिसे वाणिज्यिक अचल सम्पत्ति (कार्यालय भवन, खुदरा स्थान, बहु-प्रयोज्य वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या भांडागार स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास एवं निर्माण आदि) के लिए प्रतिभूतियों के आधार पर लिया गया। | 125 |
| ii)** बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा उपर्युक्त (i) में उल्लेखानुसार अन्य प्रतिभूतिकृत निवेश | |

*अनुसूची II (अर्ध-वार्षिक विवरणी) में नई मद सं. २४६ के सामने जोड़ा जाए।

**अनुसूची II (अर्ध-वार्षिक विवरणी) में नई मद सं. २४७ के सामने जोड़ा जाए।

ए. के. गुप्ता

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक